

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3428] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 21, 2019/आश्विन 29, 1941 No. 3428] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 21, 2019/ASVINA 29, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2019

(आयकर)

का.आ. 3770(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ड.ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई द्वारा स्थापित कोर सेटलमेंट गारंटी फंड को निर्धारण वर्ष 2019-2020 तथा आगामी वर्षों के लिए उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसुचित करती है।

[अधिसूचना सं. 82 /2019/फा. सं.197/53/2018-आईटीए-I]

प्रज्ञा पारमिता, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 2019

(INCOME-TAX)

S.O. 3770(E).—In exercise of the powers conferred by clause (23EE) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the Core Settlement Guarantee Funds set up by the **Multi Commodity Exchange Clearing Corporation Limited, Mumbai** for the purposes of the said clause for the assessment year 2019-2020 and subsequent years.

[Notification No. 82/2019/F. No. 197/53/2018-ITA-I]

PRAJNA PARAMITA, Director

5455 GI/2019